



कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक- लेखा/विज्ञप्ति/2024/02

दिनांक-31.07.2024


:: विज्ञप्ति ::

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक- F 16 ()/RSLSA/J.S./LADCS/2024/8818 दिनांक- 29.07.2024 के क्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की Modified Legal Aid Defence Counsel Scheme, 2022 के प्रावधानों के अनुसार Legal Aid Defence Counsel (LADCS) कार्यालय हेतु निम्नानुसार पदों पर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक- प.17(10)डीओपी/ए-2/94 दिनांक 28.03.2023 के अनुसार सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्त करने हेतु न्याय विभाग व अन्य राजकीय विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या
1	ऑफिस असिस्टेंट	03
2	रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर	01
3	ऑफिस पिओन	03
कुल योग		07

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह भर्ती पूर्णतया अस्थायी रूप से अनुबंध के आधार पर Legal Aid Defence Counsel Scheme, 2022 के अनुसार की जा रही है।

उपरोक्त वर्णित रिक्त पद पर उक्त शर्तों के अध्याधीन सेवाएं देने वाले इच्छुक कर्मचारी दिनांक-08.08.2024 को सायं 05 बजे तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन जिला न्यायालय, प्रतापगढ़ की वेबसाईट <https://pratapgarh.dcourts.gov.in/> से आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकता है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि दिनांक-08.08.2024 के पश्चात् के आवश्यक निर्देशों बाबत् जिला न्यायालय, प्रतापगढ़ की वेबसाईट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।


(केदारनाथ),
सचिव,

(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
प्रतापगढ़ (राज.)

"Help The Needy, Timely Help May Create History"






क्रमांक :- 1096 to 1137

दिनांक :- 31.07.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ को समस्त अधीनस्थ कार्यालय/विभाग में सूचित करने हेतु।
4. श्री अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत, प्रतापगढ़।
5. श्री अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, छोटीसादडी/धरियावद।
6. श्री जिला जन सम्पर्क अधिकारी, प्रतापगढ़।
7. श्री जिला नियोजन अधिकारी, प्रतापगढ़।
8. श्री सिट्स्म ऑफिसर, जिला न्यायालय, प्रतापगढ़ को जिला न्यायालय, प्रतापगढ़ की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।


(केदारनाथ),
सचिव,

(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
प्रतापगढ़ (राज.)

“Help The Needy, Timely Help May Create History”





कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ (राज.)

(राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी के सम्बन्ध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए)

आवेदन पत्र

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. पता मय मोबाईल नम्बर :
5. आयु :
6. अर्हताएं :
7. मूल विभाग का नाम :
8. सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद :
9. अनुभव :
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन
(रनिंग पे बैंड वेतन+ग्रेड पे)
(एलपीसी संलग्न करें) :
11. मूल पेंशन राशि
(पीपीओ संलग्न करें) :
12. धारित पद का वेतनमान
(सेवानिवृत्ति के समय) :
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र
(संलग्नानुसार) :
14. पुनर्नियुक्ति हेतु वांछित स्थान का नाम वरीयता अनुसार
(1)....., (2).....
15. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा है :

सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक-

हस्ताक्षर

“Help The Needy, Timely Help May Create History”





विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति पुत्र/पत्नी श्री जो सेवानिवृत्ति से पूर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किया जाता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमति..... की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्ति वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमति रू. मासिक मूल वेतन आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमति अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया है/हो गयी है और श्री/श्रीमति के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदौन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील

“Help The Needy, Timely Help May Create History”

